VI 28118

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 348801

स्टाम शुल्क अंकन 2350 रूपये।

" जय माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति "

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 18.06.2018 को प्रतापगढ़ में श्री छोटेलाल यादव पुत्र स्व0 श्री रामनेवाज यादव निवासी ग्राम गोंदाही पोस्ट बाबागंज जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0 द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासीकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक कहा जायेगा और संस्थापक की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने की है। जिसके लिए संस्थापक ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि संस्थापक धनराशि अंकन 11000/-रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा संस्थापक शिक्षा व समाज के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए

1. A 5001/- शिवाले लाल यादव S/O रामसेवक ग्रा.- गोहाटी कुण्डा प्रतापगढ़

14-05-18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार-प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534453

एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहता है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थापक ने उक्त राशि अंकन 11000/–रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानो के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे।

उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है उक्त संस्थापक ने ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अतः संस्थापक उपरोक्त इकरार करता है और घोषणा करते हैं कि–

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

छोटेलाल यादव पुत्र श्री रामनेवाज यादव निवासी ग्राम गोंदाही पोस्ट बाबागंज जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0 जो भारत के रहने वाले हैं, जिनको यहां बाद में न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक कहा जायेगा (इस शब्द में उनके उत्तराधिकारियों निष्पादको तथा प्रशासको को शामिल माना जायेगा जब तक की यह शब्द वर्तमान सन्दर्भ में उसके अर्थ के विरूद्ध न हो) श्री आशीष कुमार यादव पुत्र श्री छोटेलाल यादव निवासी ग्राम गोंदाही पोस्ट बाबागंज जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0 श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री अनिल कुमार यादव निवासी ग्राम गोंदाही पोस्ट बाबागंज जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0 श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री छोटेलाल यादव निवासी ग्राम गोंदाही पोस्ट बाबागंज जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0 श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री छोटेलाल यादव निवासी ग्राम गोंदाही पोस्ट बाबागंज जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0 जो भारत के रहने वाले हैं, जिनको यहां बाद में न्यासीगण (इस शब्द में न्यासीगण या इस संदर्भ में कुछ समय के लिए बनाये गये न्यासीगण के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारीगण निष्पादकों उसके विरूद्ध न हो) ।

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 2350 बाजारी मूल्य- ... पंजीकरण शुल्क- ... प्रतिलिपि शुल्क- 370 योग- 620

श्री अनवरा बेष्णो देवी शिक्षा,
समिति द्वारा प्रबंधक कांटे लाल पुत्र श्री ...
व्यवसाय : अन्य
निवासी: गोदाही बाबागंज

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/06/2018 समय 01:15:58 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी एस तिवारी
उप निबंधक कुडा
प्रतापगढ़

प्रिंट करें

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534455

अ– न्यासकर्ता/संस्थापक परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि एवं अचल सम्पत्ति का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने का इच्छुक है

ब– न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गये हैं, जैसा कि इस लेख पत्र के निष्पादन हेतु उनके पक्षकार बनने से स्पष्ट है।

स– इस लेख पत्र के पूर्वभास के उक्त राशि अंकन 11000 रूपये जिसे आगे ट्रस्ट कोष कहा गया है कि तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति नगद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय-समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगें।

अब यह न्यास पत्र निम्नलिखित का साक्षी है:–

(1)– उपरोक्त न्यास के न्यासीगण द्वारा न्यास को लिए उपरोक्त धनराशि यहां बाद मे लिखी गयी शक्तियों प्रावधानों संविदा तथा घोषणा के अधीन धारित करेंगे।

(2)– न्यासीगण एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि वे उपरोक्त धनराशि को धारित करेंगें। (सरलता के उद्देश्य से उक्त धनराशि को न्यासकोष यहां बाद में कहा जायेगा) इस शब्द के अर्थ में हर प्रकार की सम्पत्ति तथा किसी भी प्रकार का निवेश जिसमें की उपरोक्त सम्पत्ति या निवेश या उसका कोई भाग समय-समय पर परिवर्तित या निवेशित किया जा सकता है जैसा की इस न्यास तथा उससे सम्बन्धित प्राविधानों, संविदाओं तथा घोषणाओं जिनका विवरण यहां बाद में दिया जा रहा है के अधीन न्यास द्वारा अधिग्रहीत किया जा रहा है।

(3)– यह कि परोपकारी न्यास *'जय मॉ वैष्णो देवी शिक्षा समिति'* के नाम से जाना जायेगा और इसका कार्यालय न्यासकर्ता/संस्थापक श्री छोटेलाल यादव के निवास स्थान ग्राम–गोंदाही,

निष्पादन [illegible] उक्त

[illegible]: 1

श्री [illegible] शिक्षा, समिति द्वारा प्रबन्धक [illegible]

[illegible] यादव

निवासी: गोदाही बाबागंज

व्यवसाय: [illegible]

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] यादव

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: [illegible]

पहचानकर्ता : 2

श्री रामप्रताप यादव , पुत्र श्री गजाधर प्रसाद यादव

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: [illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।

टिप्पणी:

डी एम त्रिपाठी
उप निबंधक : कुंडा
प्रतापगढ़

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार-प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534456

पोस्ट–बाबागंज, जिला प्रतापगढ़, उ0प्र0 या समय–समय पर इस न्यास के न्यासकर्तागण द्वारा निर्णित किये गये स्थान पर होगा। उपरोक्त न्यास "*जय माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति*" उपरोक्त धनराशि का उपयोग सार्वजनिक कल्याण अर्थात जाति, वर्ग, लिंग आदि के भावना से परे शिक्षा चिकित्सा एवं अन्य उद्देश्यों के लिए किया जायेगा और न्यास का लाभ मानवता की सेवा की उद्देश्य से जन साधारण हेतु उपलब्ध होगा। इस न्यास से न्यासीगण लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगे।

(4)– न्यासीगण न्यास कोष की समस्त धनराशि को धारित करेंगे। जिसमें न्यास की सामग्री में दी जाने वाली सहयोग राशि, उपहार, दान, विज्ञापन द्वारा अर्जित धनराशि भी शामिल होगी जो इस न्यास कोष की आय एवं लाभ में से सर्वप्रथम न्यास के प्रबंधन प्रशासन एवं निष्पादन में होने वाले खर्च में भुगतान किया जायेगा।

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य :–</u>

1. मेडिकल कालेज, डैन्टल कालेज, नर्सिंग कालेज,एवं अस्पताल निजी क्षेत्र का डिम्ड विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना।
2. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।
3. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति/सोसाइटी स्वयं या अपने द्वारा संचालित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534457

किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने के लिए इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति/सोसाइटी को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था/सोसाइटी न्यास की संस्था/सम्पत्ति मानी जायेगी।

4. इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसमें पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना तथा प्रबन्ध करना।
5. कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना एवं संचालन करना।
6. शैक्षिक उद्देश्य से स्थापित संस्थानो को नगद अनुदान देना एवं पुस्तकीय एवं शैक्षिणिक सामग्री या अन्य किसी रूप में दान देना।
7. वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय तथा शैक्षिक या सांस्कृतिक शिविर का प्रबन्ध या उसकी सहायता करना तथा इस प्रकार के संस्थानो तथा शिविरों को समर्थन देना।
8. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भूमि अधिग्रहित करना या इमारत बनवाना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु कोष एकत्रित करना।
9. विकलांग बच्चों हेतु अंध विद्यालय, मूकबधिर विद्यालय तथा विकलांग पुर्नवास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन ।
10. बेरोजगार जरूरतमंद व बेसहारा व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।
11. न्यास के उद्देश्यों के अनुसार मिला लाभ अर्जित किये हुए छात्रावासो प्रेक्षागृहों, जिननेजियम,आडीटोरियम तथा स्टेडियम व म्यूजियम का निर्माण करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534458

12. लड़के व लड़कियों एवं सहशिक्षा के लिए विद्यालय, कालेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

13. जाति, धर्म, समुदाय वर्ग या लिंग का भेद किये बिना निर्धन जरूरतमंद एवं योग्य छात्रों को उनकी फीस में छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।

14. यह ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यासीगण को समय समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, विलय, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. स्कूल कालेज, तकनीक कालेज, संस्कृत महाविद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय फर्माशिक्षण, विधि व नर्सिंग शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध, चिकित्सीय शिक्षण शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, तथा संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी व व्यवसायिक कोर्स हेतु संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।

16. नर्सरी स्कूल प्राइमरी स्कूल राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंगलिश मीडियम) मदरसा व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना एवं शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार हेतु सभी प्रयास करना।

17. शैक्षिक किताबों पर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक आदि) का प्रकाशन करना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हॉस्टल/ छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

18. सभी प्रकार के फिल्म, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534459

19. धर्मशाला आश्रय केश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम आध्यात्मिक साधन एवं योग केन्द्र तथा सभी प्रकार के लिए धार्मिक संस्कार हेतु स्थल बनवाना व उनका संचालन करना।

20. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों, विधवाओं तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरत मंद व्यक्ति, छात्र, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याग विभाग व सरकार से प्राप्त कर सहायता करना तथा उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

21. सरकारी सहायता प्राप्त करना, सरकारी नोडल संस्था का विजनेश प्रमोटर एवं मास्टर फेन्चाइजी बनाकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रदान करना।

22. समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जन मानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कार उस पर सर्वे कराना।

23. अच्छे विचारों व साहित्यों को पैम्पलेट, बुकलेट तथा पुस्तकों आदि के प्रकाशन द्वारा या संगोष्ठियों, सभाओं कार्यशालाओं द्वारा बिना लाभार्जन प्रकाशित करना।

24. विभिन्न सामाजिक कार्यों हेतु गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) की स्थापना एवं संचालन करना।

25. गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिस करना, जल बचाव सम्बन्धी कार्य करना तथा आम जनता को जल ही जीवन है सम्बन्धी जानकारी देना।

26. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य कराना एवं समय–समय पर अनुदान प्राप्त करना।

27. अस्पताल, औषधालय, पशु अस्पताल, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का स्थापना एवं संचालन करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534460

28. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वृक्षारोपण करना एवं सामाजिक वानविकी को बढ़ावा देना।

29. स्कूल व कालेज के छात्र, एवं समाज को एड्स रोग, अन्य महावारी रोगों से बचाव के लिए जागृत करने लिए कार्यक्रम चलाना।

30. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन, जायजाद खरीदना, दान प्राप्त करना उन्हे क्रय विक्रय करना हस्तानान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कार्य कराना।

31. ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि तय करना, भूमि पट्टे पर लेना व देना, अनुबन्ध करना, ट्रस्ट द्वारा क्रय खुदा भूमि पर निर्माण करना।

32. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य के सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिए दान लेना व दान की रसीद देना तथा आयकर की निर्दिष्ट धाराओं के अर्न्तगत कार्य करना वह सभी सामाजिक कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

33. यह कि इस ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशाप आयोजित करना।

34. कृषि उन्नति एवं विकाश हेतं अनुसंधान करना एवं वह सभी कार्य करना जिससे उत्पादन बढ़े एवं समाज में कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

35. मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों को विकाश एवं उन्नयन तथा उनके स्वतंत्र जीवन एवं व्यवसाय हेतु सहायता देना।

36. बाढ ग्रस्त तथा प्राकृतिक आपदा ग्रस्त तथा अन्य विपत्तियों में परेशान लोगों को राहत पहुचाना

37. निर्धन विधवाओं के लिए संस्थानो या कोष की स्थापना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534461

38. बेरोजगार व्यक्तियों तथा वृद्धिजनों के लिए आवासों की स्थापना एवं रख रखाव निःशुल्क या उनके रहने के लिए शुल्क में छूट कुछ शर्तो पर देकर(एक निश्चित अवधि के लिए देकर) करना जिसमें शर्तों की अवधि निर्धारण न्यासीगण जैसे उचित समझेगें करेंगे।

39. जल की कमी वाले क्षेत्र में जहां कहीं भी हो वहां पर कुआ खुदवाना तथा पेयजल की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराना

40. न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी उद्देश्य हेतु बिल्डिंग बनवाना।

41. भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार जनसाधारण सरकार द्वारा पंजीकृति समितियों संगठनों से नगद धन तथा नगद दान तथा चल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्तियों में अधिकार उन शर्तों पर प्राप्त करना जो की न्यासीगण न्यास के उद्देश्य हेतु उचित समझतें हों।

42. न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी सम्पत्ति के अधिकार तथा हित को बेचना,सुधारना, प्रबन्ध करना, विकसित करना, अदला बदली करना, लीज पर देना मारगंज करना तथा न्यास किसी खाता का विस्तारित कर देना।

43. यहां बाद में दिये गये उद्देश्यों गतिविधियों तथा कार्यों को संचालित करने वाले किसी न्यास संस्थान या लोगों के संगठन को सहायता देना।

44. अन्य विधिक कार्यों गतिविधियों तथा लेखपत्रों जिसे न्यासीगण उचित समझते हो से सामान्य रूप से निष्पादित करना

45. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य उद्देश्यों वाले किसी अन्य न्यास/सोसायटी या संस्थान में न्यास को शामिल करना या उसमें सहयोग करना या उसके साथ संयुक्त रूप से मिलकर प्रबन्ध न्यासो/सोसायटी की सहमति से कार्य करना जैसे कि कानून द्वारा अनुमन्य हो ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534462

46. ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठाने,भौतिक समृद्धि प्रदान करने, सामाजिक न्यास एवं समानता दिलाने तथा उनके बौद्धिक शारीरिक एवं सामाजिक पक्षो को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमो एवं गतिविधियो को सम्मानित करना ।

47. सामुदायिक विवाह तथा विवाह की रश्मों को पूर्ण करवाने में सहायता देना तथा सामूहिक विवाह को आयोजन तथा प्रोत्साहित करना ।

48. खैराती चिकित्सालयों, नर्सिंग होम तथा मैटरनिटी होम, आंख अस्पताल, आदि को प्रारम्भ करना। निर्धन व जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सहायता देना ।

49. निर्धन व जरूरतमंद लोगों को पूर्णतया निःशुल्क अथवा आधे शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना।

50. न्यासीगण द्वारा तय किये गये जन्म कार्यों को करना तथा जन सामान्य के लिए लाभदायक हो

51. निर्धन व जरूरतमंद लोगों को न्यास द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय में सहायता देना या अन्य किसी विद्यालय पर भर्ती होने में सहायता देना।

52. किसी भी चिकित्सालय को या किसी चिकित्सा संस्थान को आपरेशन सामग्री एवं बेड आदि की सहायता देना।

53. औषधि के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु किसी व्यक्ति या चिकित्सा संस्थान या चिकित्सालयों समितियों को सहायता देना या दान देना जिसमें निर्धनो की सहायता होती हो।

54. भूमि व भवन खरीद कर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, डिस्पेंसरी, नर्सिंगहोम, मैटरनिटीहोम, की स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु धन संग्रह करना।

55. निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सहायता शिविर एड्स जागरूकता शिविर मद्यपान निषेध शिविर का आयोजन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534463

उपरोक्त के अलावा एतद्द्वारा स्थापित न्यास पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(जी) या उसमें समय–समय पर किया गया संशोधन पुर्नअधिनियम प्रभावी होगा जिसके द्वारा दान दाताओं को आयकर से अलग रखा जायेगा या छूट मिलेगी।

<u>कार्यक्षेत्र :–</u> यह की न्यासी/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष व भारत वर्ष के बाहर होगा।

<u>ट्रस्टीगण के अधिकार व कर्तव्य एवं नियुक्ति :–</u>

1. यह कि न्यासीगण को न्यासकोष की आय व उनके किसी भाग जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुयी आय को कालान्तर में कभी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा
2. यह कि न्यासीगण न्यासकोष या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय पर जैसा की न्यासीगण उचित समझें उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।
3. यह कि संस्थापक/प्रबन्धक/न्यासीगण ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया हैं संस्थापक/ प्रबन्धक/न्यासीगण ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। संस्थापक/प्रबन्धक/न्यासीगण ट्रस्टीयों का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा।
4. यह कि श्री आशीष कुमार यादव सुत श्री छोटेलाल यादव उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष होगें एवं श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री अनिल कुमार यादव उपरोक्त संस्था की प्रथम सचिव होगीं।
5. यह की ट्रस्ट के उपरोक्त प्रबन्धक/संस्थापक/न्यासीगण का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वे प्रबन्धक/संस्थापक ट्रस्टी कहलायेगें। उपरोक्त पदाधिकारी एवं प्रबन्धक/संस्थापक अपनी इच्छा से अपने पद से त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु की दशा में उनके रिक्त पद पर नया पदाधिकारी संस्थापक ट्रस्टी को

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534464

रखने का अधिकार होगा यदि उक्त संस्थापक/न्यासीगण ट्रस्टीयों में से कोई भी ट्रस्टी अपने पद से त्याग पत्र देते हैं तो संस्थापक/न्यासीगण को उनकी जगह पर नया ट्रस्टी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्यागपत्र देता है और उसे प्रबन्धक/संस्थापक व अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार एवं संबन्ध ट्रस्ट से खत्म हो जावेगें।

6. पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगें :-

अध्यक्ष :- ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करने के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष :-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना किन्तु उपाध्यक्ष द्वारा किये गये कार्य तभी कार्यवाही बैध होगें जिनका अनुमोदन प्रबन्धक/संस्थापक एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

संस्थापक :-ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप मे पर्णित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्य कलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर मे लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक की बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल तथा ट्रस्टीयों को भेजना। सभी संस्थाओं के आफिस इन्चार्ज होगा कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति करना संस्था द्वारा पारित बजटों का भुगतान करना मुकदमों की पैरवी एवं बिल तथा बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना ।

सचिव- संस्थापक/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक/संस्थापक के कार्य करना, किन्तु सचिव द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534465

की गयी कार्यवाही तभी बैध्य होगें जिनका अनुमोदन कोषाध्यक्ष/अध्यक्ष से करा लिया जायेगा।

कोषाध्यक्ष :-ट्रस्ट की समस्त आय-व्यय का विवरण रखना व उसको आडिट कराना ट्रस्ट की समस्त आय-व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित करा भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातो का संचालन संस्थापक द्वारा होगा या संयुक्त पदाधिकारी द्वारा खातों का संचालन किया जा सकता है।

7. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित ,लेन-देन निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से संस्थापक ट्रस्टीगण करेंगें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय एवं आपातकालीन समस्या के लिए विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी। अध्यक्ष एवं सचिव आदेश, निर्देश व सूचना प्रदान करेंगें यदि किसी विषय पर मदभेद हो सकता है तो ऐसी स्थिति में प्रबन्धक/संस्थापक का निर्णय सर्वमान्य होगा।

8. यह की संस्थापक/न्यासीगण समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व शैक्षिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालित हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति का गठन करेंगें जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक से अधिक ट्रस्टी, या अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की नियुक्ति अथवा भंग करने का अधिकार होगा। एवं ट्रस्टीगण ऐसे प्रबन्ध समिति अथवा उसका कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा

9. ऐसी प्रबन्ध समिति को संबंधित कार्यों उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जों अधिकार संस्थापक/न्यासीगण उचित समझें प्रदान करने की शक्ति होगी।

10. यह कि अध्यक्ष एवं संस्थापक को ट्रस्ट अथवा उसके उद्देश्यों से संबंधित कार्य हेतु किसी भी ऐजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल हैं को नियुक्ति करने तथा धनराशि अदा करने का ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534466

11. यह हि बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी का 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक की विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझें बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

12. यह कि ट्रस्ट के प्रबन्धक/संस्थापक एवं अध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाओं, फर्म बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रबन्धक/संस्थापक एवं अध्यक्ष की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ट्रस्ट की सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियों को किराया, शेयरों ऋणपत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने, चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो व लीज पर हो व किराये पर हो या क्रय करने व किसी और तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तानान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से हथियार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण की ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से विरक्त होने का अधिकार नही होगा।

14. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या 1/3 अथवा 3 ट्रस्टीयों का जो भी अधिक होगा। यदि कोरम के अभाव में स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि व स्थान की समस्त ट्रस्टीगण को डाक द्वारा/विशेष वाहक द्वारा ट्रस्टीगण को सूचित/प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पर किये बिना नही हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवस्थापक ट्रस्टीगण की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 534467

15. यह कि उक्त संस्थापक का ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें। उक्त संस्थापक ट्रस्टी की मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिश पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगें और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा।

16. यह की सम्बन्धित संस्थापक/न्यासीगण व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये प्राप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हांथ मे ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार से हानि होने पर परन्तु उनके द्वारा जान बूझकर की चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ हो तो ट्रस्टीगण उनसे लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी होगें।

17. यह की प्रबन्धक/संस्थापक के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, ओवर ड्रॉफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैकिंग खाते किसी भी संस्था जो की बैकिंग का व्यवसाय करती हो तो खोल व रख सकते है। उक्त सभी बैकिंग एकान्ट्स खातों व अन्य सभी बैकिंग खातों का संचालत प्रबन्धक/संस्थापक द्वारा होगा या उक्त न्यासीगण में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

18. किसी वर्ष या वर्षो में उपरोक्त आय का यदि कोई अतिरिक्त उपयोग न किया गया भाग बचता हैं तो उसे निवेश कर दिया जायेगा और उसमे समय–समय पर प्राप्त आय को ऐसे निवेश में लगाया जायेगा जिसमे एतद्द्वारा न्यास कोष को निवेशित करने हेतु निर्देशित एवं अधिकृत किया गया हैं और न्यासीगण का उसे उसी तरीके एवं उसी सीमा तक खर्च करने और उपयोग करने का

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 963504

अधिकार होगा । माना इस प्रकार का संचय या उसका भाग वर्ष या वर्षो की आय का हिस्सा था जिसमे कि उसको ऊपर कहे गये अनुसार खर्च एवं उपयोग किया गया ऊपर तय किये लक्ष्य एवं उद्देश्यों को वहन करने में न्यासीगण के लिए यह वैध होगा कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक न्यास कोष या उसकी आय को अपने अबोध विवेक से उन नियमों या शर्तो पर या जिसे वे उचित समझते हो किसी न्यास, न्यासो, संस्थानो पंचायत स्थानीय परिषद या नगर पालिका की सामग्री या कोष मे दान दे तथा न्यास तथा न्यासों के साथ सहयोग करते हुये कार्य करे व खर्चो में सहभागी बने या नये न्यासो को धन दे किन्तु हमेशा इस शर्त पर कि लाभ किसी विशेष समुदाय, धर्म जाति या लिंग तक सीमित न हों

6— **आगे न्यास की गतिविधियों को उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से न्यास निम्नलिखित कर सकता हैं ।**

1— अनुदान, दान, उपहार, धन की वसीयत तथा सभी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति को बिना किसी शर्त या किसी विशेष नियम व शर्त जो कि न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यो के विपरीति न हो को मॉगना, प्राप्त करना या स्वीकार करना ।

2— न्यास से सम्बन्धित या उसके नियंत्रण की किसी सम्पत्ति या सम्पत्तियों को बेचना, देना, आदान–प्रदान, बन्धक रखना, चार्ज करना, पट्टे पर देना, जमानत पर देना निस्तारित कर देना या अन्य प्रकार से डील करना ।

3— समय–समय पर बैंक वित्तीय संस्थानो या संगठनो आदि से न्यास के किसी उद्देश्य हेतु सिक्योरिटी के बिना न्यास के वर्तमान या भविष्य के सम्पत्ति, भवन, मशीने, भूमि व सामानो को बन्धक चार्ज क्रियेट करके या हायपोथिलेट करके या इस सबके बिना धन इकट्ठा करना या ऋण

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 963507

लेना तथा ऋणदाताओं को विक्रय का अधिकार या अन्य अधिकार देना जैसा कि उचित हो तथा इस प्रकार की सेक्योरिटी को खरीदना या उन्हे छुडाना ।

4— न्यास के किसी धन को जिसका न्यास के किसी उद्देश्य हेतु तत्कालिक आवश्यकता न हो तो न्यास के संविधान में प्रदत्त तरीके से निवेशित करना तथा डील करना जैसा कि समय–समय पर तय किया जा सकता हैं ।

5— न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में न्यास निम्नलिखित कर सकता हैं

क— विद्यालयों कालेजो तथा ऐसे संस्थानों तथा जो विकलांग बच्चो को सहायता देते हो उनके विद्यार्थियों को ऋण देना तथा छात्रवृत्ति देना तथा निःशुल्क पुस्तकें देना पुरस्कार देना तथा आर्थिक सहायता करना तथा आर्थिक रूप से हानि में रहने वाले समूहो को उपरोक्त प्रकार की सहायता देना ।

ख— न्यास कोषों या उसके किसी भाग को न्यास बनाने में या उससे सम्बन्धित प्रबन्धन व प्रशासन मे होने वाली खर्चो को देना जिसमे सभी प्रकार के किराये तथा कर तथा कर्मचारियों का वेतन इंजीनियरों का भुगतान तथा तकनीकी प्रोफेसरो का भुगतान करना जो शैक्षिक निर्देशन तथा सहायता देती हों ।

ग— शिक्षकों पेशवर लोगो तथा अन्य की सेवाओ को नगद पारश्रमिक या अन्य प्रकार के पारश्रमिक या समार प्राप्त करना ।

घ— उपरोक्त उद्देश्यों हेतु ऐसे लेखपत्र पर हस्ताक्षर करना तथा वादा करना जैसा कि आवश्यक हो ।

ङ— न्यास के उद्देश्य की तरक्की हेतु वांछित समझी जाने वाली पुस्तको, पम्पलेट तथा पोस्टरो को छपवाना , प्रकाशित करवाना तथा प्रदर्शनी लगवाना ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 963508

च– ऐसे सभी विधिक कार्यों को करना, लेखपत्र लिखना जो कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रेरेक एवं प्रासंगिक हो ।

7– ऐसे किसी न्यास समिति, संस्थान या संस्था के साथ मिश्रित हो जाना जिसका लक्ष्य पूर्णतः या अंशतःउपरोक्त न्यास के लक्ष्य के सामान हो ।

8– कोई भी चीज जो ऊपर कही गयी हैं या यहा बाद में कही गयी हैं उसके बावजूद न्यास कोष की आय इस प्रकार के सार्वजनिक कल्याणकारी उददेश्यों हेतु खर्च किया जायेगा जो कि आयकर अधिनियम 1961 या अन्य कोई अधिनियम जो सार्वजनिक कल्याण के न्यासों की आय से सम्बन्धित हो द्वारा समय–पर बनाये गये नियम शर्तो एवं सीमाओं के अधीन होगा ।

9– श्री छोटेलाल यादव को/न्यास के नाम से बैंक में खाता खोलने देख रेख करने, संचालित करने का अधिकार होगा जैसा कि वे समय–समय पर न्यास कोष से सम्बद्ध किसी भाग या उसकी आय को स्थायी जमा करने या चालू खाता खोलने का निर्णय करेगे जिसका संचालन श्री छोटेलाल यादव कर सकते हैं फिर भी यदि किन्ही परिस्थितियों में उपरोक्त न्यासी उपलब्ध नही हैं तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि में अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जा सकता हैं।

10– उपरोक्त प्राविधानों के अधीन विधि अनुसार न्यासीगण न्यासकोष तथा अपने पास के धन को किसी सेक्योरिटी या सेक्योरिटीरज में निवेशित करने (यदि वांछित हो) या अपने विवेकानुसार किसी निवेश या किसी सेक्योरिटीज को बदलने का भी अधिकार होगा ।

11– न्यास कोष से सम्बद्ध या अधिगृहीत किसी अचल सम्पत्ति को गिराने, पुनर्निर्माण कराने, परिवर्तन करने, सुधारने, विकसित करने या मरम्मत करने जैसा कि न्यासीगण उचित समझते हो इसका उन्हे विधिक अधिकार होगा ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 963509

12– प्रबन्ध न्यासी गण को अन्य सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ संविदा करने या उन सम्पत्तियों के स्वामियो या हित बद्ध व्यक्तिओ के लाभ हेतु जैसा कि समय–समय पर प्रबन्ध न्यासीगण उचित समझते हो जिसका कि उन्हे पूर्ण विवेका पूर्ण अधिकार होगा,लेख पत्र लिखने का भी अधिकार होगा ।

13– न्यासीगण को किसी सम्बद्ध/अधिग्रहीत सम्पत्ति को आग लग जाने या अन्य प्राकृतिक विभिषिका से बचाने हेतु तथा अन्य खतरों तथा नुकसानो जिसको कि न्यासीगण उचित समझते हो, समय–समय पर बीमा कराने का अधिकार होगा लेकिन उन न्यासीगण या किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति को जो कि बीमा होने से छूट गयी हैं को नुकसान पहुचने पर किसी भी प्रकार से उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होगी ।

14– अचल सम्पत्तियों की आय एवं लाभ में से सभी किरायों, मूल्यों, करों, तथा अन्य खर्चों का भुगतान करने के बाद बचे हुए धन को जैसा कि न्यासीगण उचित समझे भारी मरम्मत कराने में उपयोग करने या निवेश करने और उसकी आय को भारी मरम्मत कराने या पुर्ननिर्माण कराने या अचल सम्पत्यिों का बहाल करने या नव निर्माण कराने या इस बीच में इन व्यक्तियों द्वारा अधिकृत प्रतिभूतियों में उस बचे हुए धन को निवेश करने का अधिकार न्यासीगण को होगा ।

15– न्यास के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास कोष को किसी अचल सम्पत्ति उसके किसी भाग को कब्जे में लेने या उपयोग करने की अनुमति करने का भी न्यासीगण का अधिकार विधिक होगा ।

16– सम्पूर्ण न्यास कोष या उसके किसी भाग को ऐसे किसी समय जिसे न्यासीगण अपने पूर्ण विवेक से ठीक समझे, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने या व्यक्तिगत संविदा करने या अदला बदली करने या स्थानान्तरित करने या देने (एलाट करने) या पट्टा या दरपट्टा पर किसी भी अवधि के लिए देने चाहे यह कितनी भी लम्बी हो या न्यास कोष की सभी सम्पत्ति जिसमें अचल सम्पत्ति शामिल हैं

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 963510

या उसके किसी भाग को मलिकाना के उन नियमो या शर्तो पर जिसे न्यासीगण न्यास के हित में उचित समझते हो, को निस्तारित करने (निपटाने) तथा किसी मुहायदानामा अदला–बदली स्थानान्तरण, एलाटमेन्ट, पट्टा को खरीदने, समाप्त करने या बदलने का तथा उपरोक्त के द्वारा किसी प्रकार की छति होने पर उसके लिए उत्तरदायी हुए बिना अधिकार होना तथा इन उददश्यों के लिए सभी आवश्यक लेख पत्र या अदला बदली, एलाटमेन्ट, स्थानान्तरण, पट्टा दर पट्टा तथा दूसरे आश्वासनों तथा सभी आवश्यक रसीदों, मोचन,मुक्त करने सम्बन्धी लेखपत्रों को प्रतिफल धन या अन्य के आधार निष्पादित करने का अधिकार न्यासीगण का विधिक होगा। इस प्रकार के हस्तानान्तरण या अन्य आश्वासनों से प्राप्त आय न्यासकोष का भाग मानी जायेगी।

17– न्यासीगण न्यास से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादन का नियमित लेखा–जोखा रजिस्टर विधिनुसार बनाये रखेंगें।

18– उपवर्णित शक्तियों के अन्तर्गत न्यासीगण द्वारा कुछ बेचने या स्थानान्तरित करने पर क्रेता या क्रेतागण या जिसके पक्ष में स्थानान्तरण हुआ हो और जो न्यासीगण के साथ सदभावनापूर्वक उक्त कार्य सम्पादन में शामिल रहे हो, को न तो उपरोक्त निष्पादन हेतु उत्पन्न हुए कारण या उपरोक्त शक्तियों को देखने या जांच करने या न्यासीगण की नियुक्ति तथा अवकाश ग्रहण सम्बन्धी प्रावधानो का परिपालन हुआ की नही इसकी जांच करने का अधिकार होगा और न ही उपरोक्त प्रकार के विक्रय से प्राप्त धन या उसके प्रतिफल का उपयोग देखने से कोई मतलब होगा या उपरोक्त धन या प्रतिफल कहीं लगाया गया या नहीं व उससे काई क्षति हुई इससे न तो उनसे न तो कोई मतलब होगा और न वे उत्तरदायी होंगे।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 963511

19– न्यासीगण समय समय पर उन नियमों व शर्तों जैसा कि उन्हे समीचीन लगता हो एक या अधिक सचिवों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों, लिपिकों तथा दूसरे कर्मचारियों तथा नौकरों की नियुक्ति करके उनका परिश्रमिक तय कर सकते है।

20– न्यास के लक्ष्यों के निर्वहन के उद्देश्य से न्यासीगण को उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्चो का पुनर्भुगतान करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कोई भी न्यासी कभी भी किसी भी परिश्रमिक वेतन या लाभ का अधिकारी नही होगा।

21– श्री छोटेलाल यादव, श्रीमती सावित्री देवी, श्री आशीष कुमार यादव, श्रीमती मालती देवी, व श्री अनिल कुमार यादव अपने जीवनकाल तक स्थायी न्यासी होगें उपरोक्त स्थायी न्यासी में से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनकें सभी विधिक उत्तराधिकारीगण न्यास के स्थायी न्यासी होंगे। न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी व वसीयत के अनुसार निश्चित कर सकें ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेगें। संस्थापकगण ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक ट्रस्टी/न्यासी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो उक्त ट्रस्टी/न्यासी के मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त संस्थापक/न्यासीगण के स्थान पर तथा नवनियुक्ति संस्थापक/न्यासीगण को एतद्द्वारा नियुक्त संस्थापक/न्यासीगण के समान ही कार्य करने का अधिकार व दायित्व होगा।

22– श्री आशीष कुमार यादव, श्रीमती सावित्री देवी, श्री छोटेलाल यादव, श्रीमती मालती देवी, व श्री अनिल कुमार यादव हमेशा न्यासीगण की परिषद के क्रमशः अध्यक्ष होंगे तथा न्यास की मीटिंग का सभापतित्व करेंगे। यदि न्यास के किसी मीटिंग में उपरोक्त स्थायी न्यासीगण में अध्यक्ष किसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 963512

कारण से उपस्थिति नही है तो विशेष मीटिंग के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार न्यासीगण को होगा। इस न्यास की सचिव श्रीमती सावित्री देवी तथा इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के (प्रबन्धक)/संस्थापक छोटेलाल यादव स्वयं होगें।

23– न्यासीगण की प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही का सारांश उस उद्देश्य हेतु रखी गयी सारांश पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा और उस मीटिंग का अनुगामी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा और जब उक्त पुस्तिका इस प्रकार से दर्ज एवं हस्ताक्षरित हो जायेगी तब वह वहां पर किये गये या कार्यवाही की निर्णायक साक्ष्य होगी।

24– न्यासीगण की न्यूनतम संख्या (प्रबन्धक)/संस्थापक सहित पांच होगी। स्थायी न्यासीगण को कुछ समय के लिए न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासीगण की नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु जैसा कि वे आवश्यक मानते हो करने का अधिकार होगा, किन्तु एक समय पर न्यासीगण की संख्या बारह से अधिक नही होगी। संस्थापक न्यासी को अन्य अस्थाई न्यासी सदस्य बनाने व हटाने का अधिकार होगा अस्थाई न्यासी को मत देने का अधिकार नही होगा अस्थाई न्यासी का कार्यकाल केवल तीन वर्ष का होगा तीन वर्ष के उपरान्त इनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा । किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने या किन्ही कारणों वश न्यासी के न्यास से त्यागपत्र देने की स्थिति में स्थायी न्यासीगण को इस प्रकार से मृत या त्याग पत्र देने वाले न्यासी के स्थान पर नये न्यासीगण की नियुक्ति का अधिकार होगा।

25– भारतीय न्यास अधिनियम के सुसंगत प्रावधानो के अधीन न्यासीगण अपने निर्बाध विवेकानुसार इस प्रकार के नियमों एवं शर्तों जिसे वे उपयुक्त व आवश्यक मानते हों इस लेख पत्र के न्यास की सम्पत्ति या उसके किसी भाग को किसी समान या सम्बन्धित लक्ष्य वाले न्यास की या संस्थान से जोड़कर फैला सकते हैं।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 963513

26– किसी कार्य को करने या किये जाने की अनुमति देने या न्यास के प्रशासन में या अधिकारों (शक्तियों के बारे में या न्यास के किसी खण्ड या वाक्यांश के सच्चे आशय या अभिप्राय: के सम्बन्ध में न्यासीगण में) भिन्नता होने पर उसको न्यासीगण के बहुमत के विचार द्वारा निपटाया जायेगा तथा न्यासीगण के समान रूप से विभक्त होने की स्थिति में प्रबन्ध न्यासी को मत देने का अधिकार होगा। प्रबन्ध न्यासी के मत से युक्त न्यासीगण के बहुमत का निर्णय अन्तिम एवं निर्णायक होगा ।

27– समय–समय पर न्यास के लक्ष्यों उद्देश्यों प्रशासन तथा प्रबन्ध तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलो के सम्बन्ध में न्यासीगण को आडिटर, आर्कीटेक्ट, सर्वेयर, एकाउन्टेन्ट वैल्यूअर, सालीसिटर, एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मैनेजर तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हे इस प्रकार का शुल्क या विशेष पारश्रमिक या अन्यथा जैसा कि न्यासीगण समय–समय पर अपने निर्बाध विवेक से उपयुक्त समझे भुगतान करने का अधिकार होगा ।

28– प्रबन्ध न्यासी, न्यासीगण मे से किसी एक को न्यायालय ट्रिब्यूनल, प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं।

29– इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश होगा ।

30– न्यासीगण भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्राविधानों या उसमें होने वाले संशोधन का पालन करेगें ।

31– वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में जब चाहें अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टीयों में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर सकते है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 963101

32— न्यास के समस्त सदस्यों से न्यास के विषय में सहमति ले ली गयी हैं।

गठित ट्रस्ट का स्वरूप :—

क.स.	न्यासीगण का नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री छोटेलाल यादव	स्व0 श्री रामनेवाज यादव	संस्थापक/प्रबन्धक	गोंदाही, बाबागंज, प्रतापगढ़	अध्यापन	[signature]
2.	श्री आशीष कुमार यादव	श्री छोटेलाल यादव	अध्यक्ष	गोंदाही, बाबागंज, प्रतापगढ़	अध्यापन	Aashish Ya[dav]
3.	श्रीमती सावित्री देवी	श्री अनिल कुमार यादव	सचिव	गोंदाही, बाबागंज, प्रतापगढ़	गृहणी	सावित्री
4.	श्रीमती मालती देवी	श्री छोटेलाल यादव	न्यासी	गोंदाही, बाबागंज, प्रतापगढ़	गृहणी	मालती देवी
5.	श्री अनिल कुमार यादव	श्री छोटेलाल यादव	न्यासी	गोंदाही, बाबागंज, प्रतापगढ़	अध्यापन	अनिल कुमार यादव

इस न्यास विलेख में कुल रूपया 2350/— का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है

संस्थापक — छोटेलाल यादव (निवासी— ग्राम—गोंदाही, पोस्ट—बाबागंज, जिला— प्रतापगढ़ उ0प्र0)

दिनाँक — 18- 06 2018

गवाह — 1— श्री रामपदारथ यादव रामपदारथ यादव s/o स्व. श्री [illegible]

2— श्री शिवशरण यादव [illegible]

18-06-2018

लेखक— रामसेवक यादव

21

1.4.18 to 31.3.19

राम सेवक यादव

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 53 के पृष्ठ 205 से 254 तक क्रमांक
दिनांक 18/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

देवराज शुक्ल

बी एस त्रिपाठी
उप निबंधक : कुंडा
प्रतापगढ़

प्रिंट करें